न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 169/2023

रामवतार पुत्र लच्छाराम दत्तक पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ग्राम हरदयालपुरा, तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र लच्छाराम
2. श्योजीराम पुत्र लच्छाराम
3. रामनिवास पुत्र लच्छाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर
4. तहसीलदार, तहसील ग्रामीण सीकर

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री राजेश चौधरी
वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 – श्री महेन्द्र कुमार नागा

निर्णय

दिनांक : 11.09.2023

वकील वादी ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की काश्त की कृषि भूमि खं. नं0 118, 119, 120, 459, 461 किता 5 कुल रकबा 3.4000 है0 एंव खसरा नम्बर 192, 455, 897/193 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2640 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 46, 87 एवं 192 थे, ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसका खातेदार वादीएवं प्रतिवादी सख्या 1 ता

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

3 के पूर्वज/पिता लादूराम व लच्छाराम के नाम खातेदारी दर्ज रही है। वादी जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का सगा भाई एवं लच्छाराम का जाईन्दा पुत्र है। वादी को लच्छाराम के भाई लादूराम के नाऔलाद होने के कारणउनके जीवनकाल में ही गोद दिया जाकर दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। लच्छाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही यह तय किया गया कि लच्छाराम के हिस्से की खातेदारी भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त होगा। लच्छाराम की मृत्यु के बाद विरासत का नामा0 सही जांच नहीं की जाकर लच्छाराम के पुत्र के रूप में वादी का नाम नामा0 तस्दीक नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम ही विरासत का नामा0 भर दिया गया। उक्त नामा0 वादी के हिस्से तक अवैध एवं शुन्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर–बराबर 1/4 –1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 नाम से ही दर्ज होने के कारण वह गलत रूप से भू–माफियाओं से सांठ गांठ कर वादी के हक व हिस्से की भूमि को हड़प कर बलात कब्जा करने की धमकी देते है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उपर्युक्त विवादित आराजियात में लच्छाराम के हिस्से में से 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये वकील उपस्थित रहे। वादी एवं प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया।

वकील उभय पक्ष ने राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एंव वादपत्र के तथ्यों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने अपना वाद लच्छाराम का दतक पुत्र बनकर प्रस्तुत किया है। सजरा खानदान के अनुसार देवाराम के तीन पुत्र थे, लादूराम, चुना व लच्छा। तीनों पुत्र व देवाराम फौत हो चुके हैं। जिनमें से लादुराम नाऔलाद फौत हुआ। जिसका वादी दत्तक पुत्र है। वादी लच्छाराम का जायन्दा पुत्र है। वाद में वादी ने लच्छाराम की विरासत से हिस्सा चाहने बाबत उद्घोषणा चाही है। कानूनन वादी एक ही पिता की सम्पति में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने अपने दत्तक पिता लादूराम के हिस्से में आई भूमि में से हिस्सा प्राप्त कर लिया है तथा उसके समस्त दस्तावेजी रिकार्ड में पिता का नाम भी लादुराम ही अंकित है। प्रकरण में लच्छाराम के तीनों पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

उपखण्ड अधिकारी सीकर

उसको लच्छाराम की विरासत में से हिस्सा देने के लिये सहमत है। परन्तु वादी को कानूनन राजीनामा के आधार पर लच्छा की विरासत में उद्घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 यदि चाहे तो वादी को उसका हिस्सा जरिये विक्रय पत्र हस्तान्तरित कर सकते है। जिसके लिये नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की राशी अदा कर उसका हिस्सा हस्तान्तरित कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी विवादित आराजियात खसरा नम्बर 118, 119, 120, 459, 461 किता 5 कुल रकबा 3.4000 है0 एंव खसरा नम्बर 192, 455, 897/193 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2640 है0 ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर का प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.9.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

(आदेश 20 के .नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 169 / 2023

रामवतार पुत्र लच्छाराम दत्तक पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ग्राम हरदयालपुरा, तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र लच्छाराम
2. श्योजीराम पुत्र लच्छाराम
3. रामनिवास पुत्र लच्छाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर
4. तहसीलदार, तहसील ग्रामीण सीकर

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट

वाद वादी विवादित आराजियात खसरा नम्बर 118, 119, 120, 459, 461 किता 5 कुल रकबा 3.4000 है0 एंव खसरा नम्बर 192, 455, 897 / 193 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2640 है0 ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर का प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 11.09.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)